न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 147 / 2026

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—88,53 आरटीए

1. गुड्डी देवी पत्नी श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. बलवीर पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. विकास पुत्र श्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सुमन पत्नी श्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

— वादीगण

बनाम्

1. मांगीलाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. मोहित पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार आयु 17 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती बली दादी बन्ती पत्नी श्री रामचन्द्र जाति जाट ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) हाल आबाद जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री महावीर बेरड़—वकील वादी

2— श्री कुलदीप मूण्ढ—वकील प्रति.सं. 1 ता 2

निर्णय **दिनांक :— 7.5.2026**

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 / 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 93 / 22 जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से 1.412 है. कृषि भूमि तथा तहसील नोहर के चक 6 आर.पी.एम. के खाता सं. 168 / 168 जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 में वादीगण के नाम से 2.062 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चको के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य विवाद हो गया व आपंस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया था। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं :—

(क) वादीगण क्रमशः गुड्डी देवी पत्नी श्री सुरजाराम(0.253 है.), बलवीर पुत्र श्री सुरजाराम(0.579 है.) विकास पुत्र श्री राजेन्द्र एवं सुमन पत्नी श्री राजेन्द्र (0.580 है. ब.हि.ब.) समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :—

सहायक कलक्टर एवं
... अधिकारी

चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 93/22 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
206/142	61	6/0.253 है., 7/2/0.026 है.
207/141	57	20/3/0.106 है., 21/2/0.165 है., 22/3/0.083 है.
207/142	60	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 10/0.253 है.

कुल 1.412 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(क) वादी सं. 2 ता 4 क्रमशः बलवीर पुत्र श्री सुरजाराम(0.325 है.), विकास पुत्र श्री राजेन्द्र एवं सुमन पत्नी श्री राजेन्द्र (0.325 है. ब.हि.ब.) समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक़, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :– चक 6 आर.पी.एम. खाता सं. 168/168 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
303/388	4	25/1/0.038 है., 25/2/0.156 है.(किला की पश्चिमी दिषा में)
303/389	13	5/1/0.025 है., 5/2/0.026 है., 5/3/0.202 है., 6/1/0.025 है., 6/2/0.228 है.कुल 0.700. है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 व 2 क्रमशः मांगीलाल पुत्र श्री रामचन्द्र एवं मोहित पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार आयु 17 वर्ष नाबालिग जरियें कुदरती बली दादी बन्ती पत्नी श्री रामचन्द्र समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) हाल आबाद जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमिः– चक 6 आर.पी.एम. खाता सं. 168/168 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
303/388	4	25/2/0.059 है.
304/388	3	18/2/0.145 है., 19 ता 22/0.253 है.प्र., 23/1/0.146 है.कुल 1.362 है. कृषि भूमि

वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण को खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से उक्त कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 93/22 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से 1.412 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 को 0.253 है. कृषि भूमि की, वादी सं. 2 को 0.579 है. कृषि भूमि का तथा वादी सं. 3 व 4 को 0.580 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार तहसील नोहर के चक 6 आर.पी.एम. के खाता सं. 168/168 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में वादीगण के नाम से 2.062 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 1.362 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी सं. 1 का नाम कलमजन एवं वादी सं. 2 ता 4 का हिस्सा बंटवारानुसार कम किया जावे एव वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण का खाता अलग से कायम किया जावे।

कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता अपना जवाबदावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 3, 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी मे वादी बलवीर सिह ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। वादी एव प्रतिवादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी/प्रतिवादी बन्द की गई। वकील वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी निम्नानुसार प्रदर्श/प्रस्तुत किये गये चक 6 आर.पी.एम. खाता संख्या 168/168 ज.स. 2075–78 प्रदर्श–1 व चक 6 बीजीपी–ए खाता संख्या 93/22 ज.स. 2073–76 प्रदर्श–2

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 एक ही कुटुम्ब समुदाय के व्यक्ति है वादग्रस्त कृषि भूमि है जो हमारी जद्दी जायदाद है जिसका हमने अच्छी मन्दी अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादीगण व प्रतिवादी आपस मे सहमत है और जवाबदावा भी पेश हो चुका है एवं वाद पत्र में कोई विरोध नहीं है इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकिल प्रतिवादीगण ने भी वाद पत्र को मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णितानुसार चक 6 आर.पी.एम. खाता संख्या 168/168 ज.स. 2075–78 एव चक 6 बीजीपी–ए खाता संख्या 93/22 ज.स. 2073–76 में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एव प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता सहमति का जवाबदावा पेश कर अपना हक/हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः उक्त विवेचन के आधार वादीगण का वाद पत्र मुताबिक सहमति स्वीकार कर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 6 आर.पी.एम. खाता संख्या 168/168 ज.स. 2075–78 एव चक 6 बीजीपी–ए खाता संख्या 93/22 ज.स. 2073–76 में वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्नानुसार भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त चको उक्त खातो से उक्तानुसार हिस्सा कम/नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

1. वादी सं. 2 ता 4 क्रमशः बलवीर पुत्र श्री सुरजाराम(0.325 है.), विकास पुत्र श्री राजेन्द्र एवं सुमन पत्नी श्री राजेन्द्र (0.325 है. ब.हि.ब.) समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 6 आर.पी.एम. खाता सं. 168/168 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
303/388	4	25/1/0.038 है., 25/2/0.156 है.(किला की पष्चिमी दिषा में)
303/389	13	5/1/0.025 है., 5/2/0.026 है., 5/3/0.202 है., 6/1/0.025 है., 6/2/0.228 है.
		कुल 0.700 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

2. प्रतिवादी सं. 1 व 2 क्रमशः मांगीलाल पुत्र श्री रामचन्द्र एवं मोहित पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार आयु 17 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती बली दादी बन्ती पत्नी श्री रामचन्द्र समस्त जाति जाट निवासीगण

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) हाल आबाद जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमिः–

चक 6 आर.पी.एम. खाता सं. 168/168 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
303/388	4	25/2/0.059 है.
304/388	3	18/2/0.145 है., 19 ता 22/0.253 है.प्र.,
		23/1/0.146 है.
		कुल 1.362 है. कृषि भूमि

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 7.5.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उप खण्ड अधिकारी ... संगरिया जिला हनुमानगढ़

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:– 147/2026

1. गुड्डी देवी पत्नी श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. बलवीर पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. विकास पुत्र श्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सुमन पत्नी श्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. मांगीलाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. मोहित पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार आयु 17 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती बली दादी बन्ती पत्नी श्री रामचन्द्र जाति जाट ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) हाल आबाद जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बैरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 6 आर.पी.एम. खाता संख्या 168/168 ज.स. 2075–78 एव चक 6 बीजीपी–ए खाता संख्या 93/22 ज.स. 2073–76 में वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्नानुसार भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त चको उक्त खातो से उक्तानुसार हिस्सा कम/नाम कंलमजन किये जाने के आदेश दिये जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

3. वादी सं. 2 ता 4 क्रमशः बलवीर पुत्र श्री सुरजाराम(0.325 है.), विकास पुत्र श्री राजेन्द्र एवं सुमन पत्नी श्री राजेन्द्र (0.325 है. ब.हि.ब.) समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 6 आर.पी.एम. खाता सं. 168/168 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
303/388	4	25/1/0.038 है., 25/2/0.156 है.(किला की पष्चिमी दिषा में)
303/389	13	5/1/0.025 है., 5/2/0.026 है., 5/3/0.202 है., 6/1/0.025 है., 6/2/0.228 है.
		कुल 0.700 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

4. प्रतिवादी सं. 1 व 2 क्रमशः मांगीलाल पुत्र श्री रामचन्द्र एवं मोहित पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार आयु 17 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती बली दादी बन्ती पत्नी श्री रामचन्द्र समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) हाल आबाद जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि:–

चक 6 आर.पी.एम. खाता सं. 168/168 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
303/388	4	25/2/0.059 है.
304/388	3	18/2/0.145 है., 19 ता 22/0.253 है.प्र., 23/1/0.146 है.
		कुल 1.362 है. कृषि भूमि

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नोटः— वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज X नल X मुब्लिक X निल X बाबत X निल X खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक X अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 7.5.2016 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उप खण्ड अधिकारी ... रिया जिला हनुमानगढ़